



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 68-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 24, 2018 (VAISAKHA 4, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 2018

संख्या 51/एस०टी०-1/ह०अ० 6/2003/धा०59/2018.— हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 48/एस०टी०1/ह०अ० 6/2003/धा०59/2018, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क, ग, घ में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में, —

- (i) अनुसूची क में, खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 14 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3
"15	पाईपड नैचुरल गैस (पी०एन०जी०) अनुसूची ग की प्रविष्टि 21 ग की प्रविष्टि में वर्णित 6%"; के सिवाय"।	

- (ii) अनुसूची ग में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 21 ग तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2
"21 ग	परिवहन क्षेत्र में प्रयोग हेतु कौमप्रेसड नैचुरल गैस (सी०एन०जी०) तथा घरेलू क्षेत्र में सप्लाई की जाने वाली पाईपड नैचुरल गैस (पी०एन०जी०)" ;

- (iii) अनुसूची घ में, खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 5 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3
"6	पाईपड नैचुरल गैस (पी०एन०जी०) अनुसूची ग की प्रविष्टि 21 ग की प्रविष्टि में वर्णित 6%"; के सिवाय"।	

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 24th April, 2018

No. 51/ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2018.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003) and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. Web. 48/ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2018, dated the 11th April, 2018, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedules A, C and D appended to said Act with immediate effect, namely:-

Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003),-

- (i) in Schedule A, under columns 1, 2 and 3, after serial number 14 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2	3
“15	Piped Natural Gas except mentioned in entry 21C of Schedule C	6%”;

- (ii) in Schedule C, under columns 1 and 2, for serial number 21C and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2
“21C	Compressed Natural Gas (CNG) sold for use in transport sector and Piped Natural Gas (PNG) supplied in domestic sector”;

- (iii) in Schedule D, under columns 1, 2 and 3, after serial number 5 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2	3
“6	Piped Natural Gas except mentioned in entry 21C of Schedule C	6%”.

SANJEEV KAUSHAL,
 Additional Chief Secretary to Government Haryana,
 Excise and Taxation Department.